

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, विश्वविद्यालय मार्ग
तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी जनपद नैनीताल 263139
Tel: +91-(5946) -286006,286000
Website: <http://www.uou.ac.in>




Tender Document No-UOU/GM/2022-23/02

Date: 27/02/2023

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु
ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने
हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रण

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना (Empanelment)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु
ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने
हेतु दिनांक 08.02.2023 को निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें किसी भी
निविदादाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण उक्त निविदा पुनः आमंत्रित की
जाती है। निविदा आमंत्रण अर्ह एवं इच्छुक निविदादाता, निविदा की विस्तृत जानकारी,
निविदा प्रारूप तथा शर्तें वेबसाइट www.uou.ac.in पर देख सकते हैं।


कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी, नैनीताल-263139

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र०स०	विवरण	दिनांक
1.	वेबसाईट www.uou.ac.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	27.02.2023
2.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क रू- 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी कोष में ऑनलाइन जमा किये जाने की अन्तिम तिथि	10.03.2023
3.	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	10.03.2023, सायं 05:00 बजे
4.	तकनीकी निविदा खोलने की निर्धारित तिथि	13.03.2023, प्रातः 11:00 बजे


निविदा के नियम एवं शर्तें:-

1. उक्त निविदा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु आमंत्रित की गई है। प्रतिभाग करने वाले समस्त निविदादाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी निविदा में अर्ह पाए जाने के आधार पर ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
2. तकनीकी बिड में वांछित अभिलेखों को क्रमवार संलग्न कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने के दिवस को अवकाश घोषित होता है, तो उस स्थिति में अगले कार्यदिवस में निविदाएं खोली जाएंगी।
4. निविदा में उल्लिखित वाहन की आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अतः निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास इस कार्य हेतु पर्याप्त वाहन सामर्थ्य तथा अनुभव है। सूचीबद्ध किए जाने के उपरान्त कार्यादेश दिए जाने पर यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो कार्यपूर्ति प्रतिभूति जवाबदारी कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
5. निविदा आवश्यक रूप से दिये गये मानकों के अनुसार होनी चाहिए। मानक के अनुरूप न पाए जाने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। अधूरे अथवा अस्पष्ट निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है। साथ ही बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा पुनः नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतन्त्र है।

7. निविदादाता की ओर से किसी प्रकार के नियम अथवा शर्त अधिरोपित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर तथा फर्म के मालिक/साझेदार के हस्ताक्षर अंकित होने अनिवार्य है।
8. निविदा प्रपत्र निविदादाता द्वारा भरे जाने चाहिए एवं प्रत्येक पृष्ठ मोहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए। तकनीकी निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट समस्त पत्रालेख्य संलग्न किए जाने होंगे। निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निविदा संख्या, दिनांक एवं अन्य विवरण लिखा होना चाहिए तथा लिफाफा सील बंद होना अनिवार्य है। निविदा कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नाम सम्बोधित होनी चाहिए तथा लिफाफे पर निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) के अनुसार "ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा" अंकित होना अनिवार्य है।
9. निविदा को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर आदि के माध्यम से कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, यातायात नगर के पीछे, तीनपानी पास बाईपास रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)- 263139 अथवा व्यक्तिगत रूप से पूर्ण भरे निविदा के लिफाफे को विश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुभाग में रखी निविदा पेटी में निविदा की अन्तिम तिथि को सांय 05:00 बजे तक डाला जाएगा।
10. निविदा आवेदन पत्र शुल्क रु0 1000/- (रु0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित बैंक एकाउन्ट में ऑनलाईन माध्यम (RTGS/NEFT/IMPS आदि) से जमा कराना होगा:-
 1. बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक
 2. शाखा : कुसुमखेड़ा हल्द्वानी (नैनीताल)
 3. खाताधारक का नाम : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
 4. आई0एफ0एस0सी0 : SBIN0005100
 5. खाता संख्या : 30617837388
11. ऑनलाईन जमा की गयी धनराशि की प्राप्ति/लेन-देन रसीद (Reciept/Transaction reciept) की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी जिसके बाद ही निविदा पर विचार किया जाएगा।
12. निविदादाता के पास वाहन आपूर्ति का कम से कम तीन वर्षों अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।
13. निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 एवं में प्रत्येक वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर रु0 1000000/- (रु0 दस लाख मात्र) से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय विवरण/प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
14. फर्म को वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

15. निविदादाता फर्म को इस आषय का शपथ पत्र रू0 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। उक्त शपथ पत्र की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।
16. निविदा की धरोहर राशि के रूप धनराशि रू0 75,000.00 (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) विश्वविद्यालय के उपरोक्त वर्णित खाते में जमा कराए जाने होंगे जिसकी रसीद/विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
17. निविदादाता को रू0 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करने में पूर्णतः सहमत है।
18. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सूचीबद्ध फर्मों के साथ धनराशि रू0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाएगा जिसका प्रारूप तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं (सूचीबद्ध की जाने वाली) को दिया जाएगा।
19. सफल निविदादाता को अनुबंध के समय कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में रू0 5,00,000.00 (रू0 पाँच लाख मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। एक से अधिक फर्म सूचीबद्ध किए जाने की दशा में उक्त कार्यपूर्ति धनराशि को सूचीबद्ध होने वाली फर्मों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से विभाजित कर लिया जाएगा।
20. निविदा समिति द्वारा प्रथमतः तकनीकी बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाताओं को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर कार्य करने की उनकी सहमति के आधार पर सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी।
21. यदि तकनीकी बिड का प्रारूप तथा उसके संलग्नक अपूर्ण पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित निविदादाता की तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी तथा सूचीबद्ध किए जाने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
22. निविदा के प्रपत्र स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए, अधूरा प्रपत्र एवं कटिंग (ओवर राइटिंग) वाली निविदा मान्य नहीं होगी।
23. स्रोत पर की जाने वाली वैधानिक कटौतियां देयकों से की जायेगी एवं मांग करने पर कटौती का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
24. यदि सूचीबद्ध फर्म द्वारा विश्वविद्यालय की अपेक्षानुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सूचीबद्ध अनुबंध तत्काल निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
25. सामान्य परिस्थितियों में सूचीबद्ध अनुबंध (Empanelment Contract) एक वर्ष हेतु वैध रहेगा जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि के मध्य यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा ठेका गाड़ियों की दरें पुनरीक्षित की जाती है, तो तदनुसार पुनरीक्षित दरें अनुमन्य होंगी।

26. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
27. निविदादाता को कार्यादेश मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य को किसी दूसरी फर्म/तृतीय पक्ष को किराए/पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति जब्त करते हुए आरोपित फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।
28. फर्म के वाहन चालकों को पर्वतीय स्थानों में वाहन चालन का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए।
29. निविदादाता को ₹0 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है कि फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के न्यूनतम 15 छोटे भार मालवाहक वाहन एवं 15 टैक्सी वाहन/समकक्ष या अन्य वाहन अनुबंधित होना अनिवार्य है।
30. आपूर्तिकर्ता वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्ण रूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।
31. यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन में खराबी अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल दुसरे वाहन की आपूर्ति करनी होगी।
32. वाहन का निर्माण वर्ष 2018 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
33. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता फर्म को वाहन, थर्ड पार्टी बीमा इत्यादि पूर्ण एवं अद्यतन रखना होगा।
34. विश्वविद्यालय को निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
35. किसी भी विवाद की स्थिति में मा० कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
36. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्र मुख्यालय नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।


कुलसचिव

तकनीकी बिड प्रारूप

क्रम	विवरण	विवरण	संलग्नक क्रमांक
1.	निविदादाता का नाम		
2.	निविदादाता की फर्म नाम तथा पता	
3.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क रु0 1000/- (रु0 एक हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित बैंक एकाउन्ट में ऑनलाईन माध्यम (RTGS/NEFT/IMPS आदि) से जमा धनराशि का विवरण।	Transaction Number Date of Transaction Amount	
4.	निविदादाता फर्म के पी0ए0एन0 कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें		
5.	निविदादाता फर्म के प्राधिकृत सम्पर्ककता के नाम		
6.	निविदादाता फर्म के अधिकृत सम्पर्ककता का फोन/मोबाइल नम्बर		
7.	निविदादाता फर्म का ई-मेल		
8.	निविदादाता फर्म के जी0एस0टी0 पंजीकरण की सम्बन्धी जी0एस0टी0 पंजीकरण की स्वप्रमाणित पंजीकरण की प्रति।		
9.	निविदादाता फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र की स्कैन प्रति। (प्रारूप-01)		
10.	निविदादाता फर्म के वार्षिक टर्नओवर सम्बन्धी सी0ए0 के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करें (प्रत्येक वर्ष में रु0 1000000/- से कम नहीं होना चाहिए)	Financial Year F.Y 2019-20 F.Y 2020-21 F.Y 2021-22	Turn Over
11.	निविदादाता फर्म के आयकर रिटर्न जमा करने सम्बन्धी प्रमाण की स्कैन प्रति।	Financial Year 2019-20 Financial Year 2020-21 Financial Year 2021-22	
12.	उत्तराखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य करने में सहमति विषयक शपथ पत्र (प्रारूप 02)		
13.	निविदादाता फर्म द्वारा पूर्व में की गयी आपूर्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र स्कैन प्रति अपलोड करें।		
14.	निविदा नियम संख्या 29 में उल्लिखित प्राविधानानुसार पर्याप्त वाहन होने सम्बन्धी शपथ पत्र। (प्रारूप 03)		

हस्ताक्षर निविदादाता मुहर

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

UNDERTAKING

I/We do hereby declare that our firm is not black listed or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand /Government of India or any State Government / Board / Universities, since inception of the Firm Company, and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong/ incorrect or misleading, our tender/ contract stands to be cancelled/ terminated.

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:

Contact Number.

**राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरें स्वीकार किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र
(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)**

शपथ पत्र

मैं (प्रोपराईटर) मै0.....पता.....

की ओर से घोषणा करता/करती हूं कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु निविदा में हमारी फर्म राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करने में सहमत है।

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:

Contact Number.

**निविदा नियम संख्या 29 में उल्लिखित प्राविधानानुसार पर्याप्त वाहन होने सम्बन्धी शपथ पत्र
(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)**

शपथ पत्र

मैं (प्रोपराईटर) मै0.....पता.....

की ओर से घोषणा करता/करती हूं कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा एवं अन्य सामयिक कार्यों के सम्पादन हेतु ठेका गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की दरों पर सूचीबद्ध किए जाने हेतु आमंत्रित निविदा के नियम संख्या 29 के अनुसार हमारी फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के न्यूनतम 15 छोटे भार मालवाहक वाहन एवं 15 टैक्सी वाहन/समकक्ष या अन्य वाहन अनुबंधित है।

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:

Contact Number.